न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
05/2019 (GCMS 2019/00129)	04.02.2019	08.06.2022

अनवान

सरकार जरिये श्री देवेन्द्र सिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1–श्री महावीर सुराणा पुत्र हस्तीमल सुराणा (विक्रेता/मालिक रिटेल फर्म) मै. महावीर किराणा स्टोर पावटा चौक, बूंदी रोड़, चित्तौड़गढ़ निवासी 66ए, सेक्टर 2, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

2–श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र रतनलाल (प्रोपराईटर थोक विक्रेता) मैसर्स आदिनाथ इंटरप्राईजेज, बंदी रोड़, चित्तौड़गढ़ निवासी कपड़ा बाजार, चित्तौड़गढ़

3–श्री जगजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह (प्रोपराईटर थोक विक्रेता) मैसर्स एच. बी. एण्ड सन्स बी–11–33, ऑटोमोबाईल नगर, देहली बायपास, जयपुर निवासी 198, मार्ग संख्या 4, गोविन्द नगर पूर्व वार्ड नं. 52 जयपुर

4–श्री जे. के. शर्मा पुत्र शिवदत्त शर्मा (नोमिनी/Deputy Manager Q.A. निर्माता फर्म) मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड़ यूनिट–3, ग्राम सोफ्टा तहसील एवं जिला पलवल (हरियाणा)

5–मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड़ यूनिट–3, ग्राम सोफ्टा, तहसील एवं जिला पलवल (हरियाणा)

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.02.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **H/PFA/Notification/2011/440 Dated**

25-07-2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.02.2018 को समय 03.10 पी.एम. पर मैसर्स महावीर किराणा स्टोर पावटा चौक बूंदी रोड़, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। वहां पर महावीर सुराणा पुत्र हस्तीमल उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) व अन्य किराणा सामान आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता से खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो कि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) बेच नम्बर MCJEA के कुल 09 सील्ड पैकेट 500–500 एम एल के विक्रय हेतु रखे पाये गये। उक्त में से 1 सील्ड पैकेट घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) को ध्यान से देखने पर उस पर घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) Net Weight 500 ml., Batch No. MCJEA, M.No.-A109, M.R.P. 248/- Date of PKD. Jan. 2018 Best before 12 Months From the Date of PKG. Mfg. & MKtd. By- KWALITY LIMITED Village Softa, District Palwal, Haryana 121004 आदि अंकित पाया। विक्रेता ने उक्त घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) का वेट ईनवाईस/खरीद बिल नम्बर 2622 दिनांक 20.01.2018 मै. आदिनाथ इन्टरप्राईजेज चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी प्रस्तुत किया गया। उक्त घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) मे मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराते हुए नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु बार–बार आग्रह किया किन्तु किसी के भी गवाह बनने हेतु तैयार न होने पर महेन्द्र सिंह को गवाह बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही उनके सामने की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 500–500 एम एल के 4 सील्ड पैकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 990/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त

खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागों मे (प्रत्येक भाग में 1 सील्ड पैकेट) बांट कर अलग–अलग रखा। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-925** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार व गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जॉच कराने की प्रक्रिया जानकारी मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मै. महावीर किराणा स्टोर, मैसर्स आदिनाथ इंटरप्राईजेज व मैसर्स एच. बी. एण्ड सन्स तथा मैसर्स

Web Copy - Not Official

क्वालिटी लिमिटेड़ को उनके ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड ड़ाक से जांच रिपोर्ट की एक प्रति नियमानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित की गई जिसकी मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/1783 दिनांक 09.04.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्राण्डेड होना पाया गया था। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1783 दिनांक 09.04.2018 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/394 दिनांक 25.01.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है जिसे स्वीकार कर उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 देवेन्द्रसिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 2 महेन्द्र सिंह पिता भगवतसिंह च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह) गवाह संख्या 3 रोशनलाल च. श्रे. क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (नमुना जॉच हेतु प्रयोगशाला मे जमा कराने बाबत), गवाह संख्या 4 डॉ0 इन्द्रजीत सिंह, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (पेपर स्लिप आदि जारी करने व न्याय निर्णयन आवेदन हेतु अधिकृत करने बाबत) पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेजात प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से सूचना पत्र/नोटिस प्रेषित किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार नाहर एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमित गर्ग ने अधिकार पत्र पेश किया। उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप काबरा ने अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की। कई अवसर दिए जाने के बावजूद भी उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। पुनः अधिवक्ता श्री प्रदीप काबरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिकार पत्र एवं कार्यवाही दो तरफा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध प्रकरण पुनः दो तरफा के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब पेश किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन किया जिस पर उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण सुनी गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 का मुख्य कथन यह रहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही विधिनुरूप नहीं है। एफ. एस. एस. अधिनियम व इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के नियम 2.2. 2(10) का सारभूत पालन किया गया है एवं वांछित जानकारी लेबल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नहीं की गई है। अतः किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहकों को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की सीमा के संबंध में गुमराह किया है अथवा धोखा दिया है। भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में उक्त बिन्दु को निर्धारण किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) पर BEST BEFORE 12 MONTH FROM PACKAING छपा होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 के तहत नियम 2.2.2(10) का उल्लंघन होना बताया है जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इस प्रकार के प्रकरणों में अधिरोपित पेनल्टी/अर्थदण्ड को खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। यदि उक्त खाद्य पदार्थ पर BEST BEFORE 12 MONTH FROM PACKAING छपा होने से खाद्य

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 के तहत 2.2.2(10) का उल्लंघन हुआ भी है तो इस प्रकार की त्रुटि को सुधारने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्माता कम्पनी को धारा 32 के तहत नोटिस जारी कर उक्त त्रुटि सुधारने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही खाद्य विश्लेषक, उदयपुर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड होना बताया है किन्तु उक्त जन विश्लेषक एवं जांच प्रयोगशाला जिसने कथित खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच की वह विधि अनुरूप अधिसूचित एवं अधिकृत नहीं है, अतः मामले का एक मात्र आधार जन विश्लेषक की जांच रिपोर्ट है जो साक्ष्य में पठनीय नहीं है। इसी मात्र बिन्दु पर मामला निरस्तनीय है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 22.02.2018 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 22.02.2018 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-925** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 62 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 7 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म

नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-925** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 8 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 9 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 23.02.2018 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)**(ii)** एवं 2.4.1(10)**(iii)** के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 11 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। विपक्षी संख्या 1 द्वारा खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) का खरीद बिल **Tax Invoice NO. GST-2622** दिनांक 20.02.2018 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स आदिनाथ इन्टरप्राईजेज द्वारा विक्रेता फर्म अप्रार्थी संख्या 1 मैसर्स महावीर किराणा स्टोर को जारी किया गया प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा खरीद बिल **Tax Invoice NO. 0599** दिनांक 03.02.2018 जो कि अप्रार्थी संख्या 3 मैसर्स एच. बी. एण्ड सन्स द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स आदिनार्थ इंटरप्राईजेज को जारी किया गया प्रस्तुत किया तथा इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 3 ने भी खरीद बिल **Tax Invoice NO. TC-015/17/001962** दिनांक 01.02.2018 जो कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 मैसर्स एच. बी. एण्ड सन्स को जारी किया गया प्रस्तुत किया, जिससे जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेता फर्म 1 से 3 द्वारा निर्माता फर्म अप्रार्थी संख्या 4 व 5 से क्रय किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2018/4221 दिनांक 15.10.2018 एवं पत्रांक 10 दिनांक 02.01.2019 से निर्माता फर्म मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड़, यूनिट–3, गांव सोफ्टा, तहसील व जिला पलवल (हरियाणा) को विक्रेता फर्म को जारी बिल एवं फार्म 5 ए की प्रति प्रेषित की गई, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2018/1783 दिनांक 09.04.2018, पत्रांक 4047 दिनांक 01.10.2018 एवं पत्रांक 4222 दिनांक 15.10.2018 से विक्रेता फर्म एवं निर्माता फर्म को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 63/Act/2018/102 Dated 13-03-2018** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 63/ACT/2018/102 Dated 13-03-2018** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार :–

Report No LS 63/Act/2018/102 Dated 13-03-2018

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Ghee (Dairy Best) Bearing code no, and serial no. AM-925 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.CH.O of District Chittorgarh on 23-02-2018 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. Tlie seals fixed on the container and outer cover tallicd with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Butter, ghee & milk fat falling under Regulation No. 2.1.10.2 (Ghee) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 12-03-2018 to 13-03-2018 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample contained in a sealed original company duplex pack of 500ml. (449g) at 45^{o}
(ii) Physical appearance:- Whitish granular viscous paste in appearance.
(iii) Label :-- Brand- Dairy Best, Name of food- Ghee, Mfd. by- Kwality Ltd., Village Softa, Dist. Palwal, Haryana-121004, Pkd. On- Jan.2018 (Date absent), Batch No.-MCJEA, M.No.-A109, BEST BEFORE TWELVE MONTHS DATE OF PACKAGING, (Given but not as per Regulations) Contravention to Regulation 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. Green symbol of veg.- Present. Ingredients- Present, Nut. Value - Given, Fssai FSSL. 10012064000062, Bar Cod No. 8906006701335, AGMARK special frade-C.A. No. A/1-005187
Opinion:- The sample of Ghee (Dairy Best) Bearing code no. and serial no. AM-925 of Designated office (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is Misbranded Food. The sample is Misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्रसिंह राणावत द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 62 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 12.03.2018 से 13.03.2018 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Butter, ghee & milk fat falling under Regulation No. 2.1.10.2 (Ghee) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011., एवं Brand- Dairy Best, Name of food- Ghee, Mfd. by- Kwality Ltd., Village Softa, Dist. Palwal, Haryana-121004, Pkd. On- Jan.2018 (Date absent), Batch No.-MCJEA, M.No.-A109, BEST BEFORE TWELVE MONTHS DATE OF PACKAGING, (Given but not as per Regulations) Contravention to Regulation 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations**

2011. उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-925** चस्पा है घी (डेयरी बेस्ट ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(c)(i)** के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2018/1783 दिनांक 09.04.2018, पत्रांक 4047 दिनांक 01.10.2018 एवं पत्रांक 4222 दिनांक 15.10.2018 से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2019/394 दिनांक 25.01.2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है।

जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम की धारा 32 के संबंध तथ्य उठाया गया तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्यवाही संपादित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस तथ्य को वर्तमान परिस्थिति में देखा जाना उचित नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में जिन न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया है उनकी प्रतियां उनके द्वारा न्यायालय के अवलोकन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं अथवा नहीं। साथ ही विपक्षीगण/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब परिवाद में उठाये गये तथ्यों के संबंध में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद के समस्त तथ्यों को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया गया है, एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है एवं निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, अधिनियम के

अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है अथवा नहीं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है।

अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्तगण अप्रार्थी संख्या 1 श्री महावीर सुराणा पुत्र हस्तीमल सुराणा (विक्रेता/मालिक रिटेल फर्म) मै. महावीर किराणा स्टोर पावटा चौक, बूंदी रोड़, चित्तौड़गढ़ निवासी 66ए, सेक्टर 2, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ अप्रार्थी संख्या 2 श्री महावीर प्रसाद जैन पुत्र रतनलाल (प्रोपराईटर थोक विक्रेता) मैसर्स आदिनाथ इंटरप्राईजेज, बंदी रोड़, चित्तौड़गढ़ निवासी कपड़ा बाजार, चित्तौड़गढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 3 श्री जगजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह (प्रोपराईटर थोक विक्रेता) मैसर्स एच. बी. एण्ड सन्स बी–11–33, ऑटोमोबाईल नगर, देहली बायपास, जयपुर निवासी 198, मार्ग संख्या 4, गोविन्द नगर पूर्व वार्ड नं. 52 जयपुर प्रत्येक को राशि 10000/– रूपये अक्षरे दस हजार रूपये (प्रत्येक पर) तथा अप्रार्थी संख्या 4 श्री जे. के. शर्मा पुत्र शिवदत्त शर्मा (नोमिनी/Deputy Manager Q.A. निर्माता फर्म) मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड़ यूनिट–3, ग्राम सोफ्टा तहसील एवं जिला पलवल (हरियाणा) व अप्रार्थी संख्या 5 मैसर्स क्वालिटी लिमिटेड़ यूनिट–3, ग्राम सोफ्टा, तहसील एवं जिला पलवल (हरियाणा) को संयुक्त रूप से राशि 50000/– अक्षरे

पचास हजार रूपये अर्थात् कुल राशि 80000/– अक्षरे अस्सी हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़